

क्रमांक / स्था.3 / सी-2 / 125 / अं.जि.स्था. / 2012 / 1068

भोपाल, दिनांक 08-6-2012


/ आदेश /

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कण्डिका 5 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित शिक्षक संवर्गी कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर् जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स. क्रं.	नाम एवं पदनाम	यूनिक आई. डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती तारा राजौरिया स०शि०	BA 2590	शास माध्यमिक विद्यालय नांदनी कालापीपल शाजापुर	23220506517	सीहोर
2	श्री दौलतराम परमार प्र०अ०	AS 8313	शास माध्यमिक विद्यालय खेडा भनगोता नीमच	23180304302	मंदसौर
3	श्री सुरेश कुमार मर्सकोले प्र०अ०	AT 4853	शास माध्यमिक शाला अण्डोल तह.साँची जिला रायसेन	23340501403	सिवनी
4	श्रीमती अंजना वर्मा प्र०अ०	BB 9842	शास हाईस्कूल सिरसी जिला सीधी	23170615502	रीवा
5	श्री रामलली दुबे सहा०शि०	AG 5440	शास प्रा०शा० शिवपुरी वि०ख० परासिया जिला छिन्दवाडा	23430315901	उमरिया
6	श्रीमती गीता गुप्ता स०शि०	AH 6756	शास प्राथ०शाला समन्ना जिला दमोह	23120306901	उमरिया
7	श्री रघुनाथ खाडे प्र०अ०	AT 9200	शास मा०वि० खरवई जिला रायसेन	23340524005	भोपाल
8	श्री हर्ष कुमार गुप्ता प्र०अ०	AK 8425	शास मा०शा० डबका मुरार जिला ग्वालियर	23040403102	उज्जैन
9	श्री बी०के०श्रीवास्तव शिक्षक	BO 5136	शास क०उमावि० खिरकियाँ जिला हरदा	23360377701	भोपाल
10	श्रीमती सुशीला शुक्ला	BH 8911	शास प्रा०शा० कोलानटोला ब्यौहारी जिला शहडोल	23160201201	सतना
11	श्रीमती कृष्णा सहगल स०शि०	AT 7871	शास. प्रा०शा० धामधूसर तह० औबेदुल्लागंज जिला रायसेन	23340407201	मंदसौर
12	श्रीमती अनिता कलाउड शिक्षक	BI 5668	शास. कन्या काटजू मा०शा० क्र-1 जावरा जिला रतलाम	23200308767	इंदौर
13	श्री रामप्रकाश सैनी स०शि०	AR 1280	शास प्रा०शा० मीरन की गढी जिला मुरैना	23020206108	ग्वालियर
14	श्रीमती रेखा सिंगारे स०शि०	AI 7784	शास. मा०शा० माकनी बदनावर जिला धार	23250110102	खरगौन

15	श्री आर.के.तिवारी प्र0अ0	AL 4816	शास नवीन कन्या मा0शा0 सोडलपुर टिमरनी हरदा	23360208303	इंदौर
16	श्री अमित सेंगर स0शि0	BB 6904	शास. प्रा0शा0 बछौरा जिला शिवपुरी	23060102103	भोपाल
17	श्री प्रमोद कुमार त्रिवेदी स0शि0	AK 9228	शास. प्रा0वि0 पदमपुर खेरिया मुरार जिला ग्वालियर	23040411402	भिण्ड

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि/विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध, कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होंगे।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका-9.20 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.25 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


(अरुण कोचर)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश


कृ.पृ.उ.

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/125/अं.जि.स्था./2012/1069

भोपाल,दिनांक 08/06/2012

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव,माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, मान.मंत्री महोदया, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, मान.राज्यमंत्री महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला- शाजापुर/सीहोर/नीमच/मंदसौर/रायसेन/सिवनी/सीधी/रीवा/छिन्दवाडा/उमरिया/दमोह/भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/हरदा/रतलाम/इंदौर/मुरैना/धार/खरगोन/शिवपुरी/भिण्ड/शहडोल म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिलाशाजापुर/सीहोर/नीमच/मंदसौर/रायसेन/सिवनी/सीधी/रीवा/छिन्दवाडा/उमरिया/दमोह/भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/हरदा/रतलाम/इंदौर/मुरैना/धार/खरगोन/शिवपुरी/भिण्ड/शहडोल म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शाजापुर/सीहोर/नीमच/मंदसौर/रायसेन/सिवनी/सीधी/रीवा/छिन्दवाडा/उमरिया/दमोह/भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/हरदा/रतलाम/इंदौर/मुरैना/धार/खरगोन/शिवपुरी/भिण्ड/शहडोल म.प्र.।
9. संबंधित गण.....
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त 8/6
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश